(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 677–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 28–01–2013 पारित अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 242/2010–11 निगरानी.

1– गणेश कुशवाहा पुत्र छन्दी कुशवाहा
2– हरप्रसाद कुशवाहा पुत्र छन्दी कुशवाहा
दोनों निवासी ग्राम राजापुर, तह0 निवाड़ी,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– भगवानदास काछी पुत्र घन्सू
2– रामकिशन काछी पुत्र घन्सू
3– अजुध्दी काछी पुत्र घन्सू
समस्त निवासी पनयाखेरा ग्राम राजापुर, तह0 निवाड़ी,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री एस0के0 खरे, अभिभाषक – आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 11.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के निगरानी प्रकरण कमांक 242/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, निवाड़ी ने अपने आदेश दिनांक 06–10–03 व्दारा ग्राम कुलुवाभाटा की भूमि सर्वे कमांक 54/4 रकबा 1.000 हे. का आवेदकगण गनेश एवं हरप्रसाद को दखलरहित अधिनियम, 1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदकगण भगवानदास आदि ने निगरानी अपर क़लेक्टर के समक्ष दिनांक 07–03–11 को प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28–01–13 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण व्दारा ख0नं0 54/2 के पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया और सम्पूर्ण कार्यवाही 54/2 के संबंध में की गयी और पट्टा 54/4 का दिया है जो गंभीर त्रुटि है। अतः अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–10–03 निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी समयावधि बाह्य प्रस्तुत की गयी थी और अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह माना है कि मामले की जानकारी निगरानीकर्त्ता को पूर्व से ही थी और निगरानी अवधि बाह्य है, फिर भी अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि तहसीलदार ने सर्वे नं0 54/4 के संबंध में विधिवत जॉच उपरान्त गनेश एवं हरप्रसाद को दखलरहित अधिनियम, 1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित किया। सर्वे नं0 54/4 के संबंध में पटवारी व्दारा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है और आवेदकगण का कब्जा वर्षों पूर्व से होना व उनके व्दारा भूमि कृषि योग्य बनाने में काफी श्रम व धन व्यय किया जाना बतलाया है। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

5/ तहसीलदार, निवाड़ी के प्रकरण कमांक 1/अ–19/03–04 में पारित आदेश दिनांक 6–10–03 से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने भूमि सर्वे कमांक 54/4 रकबा 1.000 हे. का आवेदकगण गनेश एवं हरप्रसाद को दखलरहित अधिनियम, 1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित किया है। म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1984 (जिसे आगे केवल अधिनियम 1984 कहा जायेगा) की धारा 3 (1) में यह प्रावधान है कि –

"3(1) गॉव में समस्त दखल रहित भूमि में की भूमि पर 2 अक्टूबर 1984 को किसी कृषिक श्रमिक का कब्जा हो, संहिता या उसके अधीन निर्मित नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति व्दारा उक्त दिनांक से भूमिस्वामी अधिकारों में धारित की जायेगी और वह उक्त भूमि का भूमिस्वामी संहिता के और तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के समस्त आशयों के लिये होगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि कृषिक श्रमिक का कब्जा दखल रहित भूमि पर 02–10–1984 को होने पर उसे उस भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया जा सकता है।

अधिनियम 1984 की धारा 3(2) में यह प्रावधान है कि –

"3(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस कृषक श्रमिक के कब्जे में भूमि वाले गॉव में वह नहीं रहता हों और उसके परिवार का कोई सदस्य किसी भूमि को धारण करता हों।

स्पष्टीकरण– उपधारा (2) के आशयों के लिये परिवार में स्त्री, बच्चे, मॉ बाप और अन्य कोई आश्रित व्यक्ति शामिल माना जावेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि कृषक श्रमिक का उसी गॉव में निवास नहीं करने तथा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी भूमि को धारण करता हों तो उसे अधिनियम 1984 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भूमिस्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। तहसील न्यायालय के अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि 54/4 के खसरा पंचसाला वर्ष 1992–93 से 1996–97 की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें कैफियत खाने में कब्जे अंकित है, किन्तु 02–10–1984 या उसके पूर्व से ख0नं0 54/4 पर आवेदकगण का कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस कारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) के अन्तर्गत ख0नं0 54/4 का व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष में नहीं किया जा सकता था। पटवारी रिपोर्ट, जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 23 पर उपलब्ध है, में आवेदक के सदस्यों के नाम 0.510 हे. तथा पिता के नाम 1.011 हे. भूमि होना कॉलम नं0 6 एवं 7 में दर्शाया गया है। पंचनामें में आवेदक गनेश हरप्रसाद का पूर्व से तथा मौके पर कब्जा होना दर्शाया गया है और इस पर ग्राम पंचायत राजापुर की सील व अंगूठा सीतादेवी लगा है। इस पंचनामें के आधार पर भी आवेदक को कृषिक श्रमिक होना व उसे अधिनियम की धारा 1984 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन की पात्रता होना नहीं माना जा सकता। आवेदकगण के सदस्य एवं पिता भूमिस्वामी स्वत्व में भूमि धारण करते थे, इस कारण आवेदकगण को अधिनियम की धारा धारा 3(1) के अन्तर्गत भूमि व्यवस्थान की पात्रता नहीं थी। ऐसी दशा में तहसीलदार व्दारा आवेदकगण के पक्ष में ख0नं0 54/4 के 1.000 हे. भूमि का व्यवस्थापन करना अधिनियम 1984 के प्रावधानों के विपरीत होने से उसे अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी में निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर कलेक्टर को संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या कार्यवाहियों की अवैधानिकता या अनियमितता ज्ञात होने पर कार्यवाही की जा सकती है और आदेश निरस्त किया जा सकता है। अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के

बाद धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी में आदेश पारित किया है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 06–10–03 अधिनियम 1984 के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिये इसे सिर्फ अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी समयावधि बाह्य होने के आधार पर पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 28–01–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0